सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ग्राम्य विकास विभाग
(जिला विकास कार्यालय)
जनपद चमोली

मैनुवल संख्या– 02

अधिकारियों और कर्मचारियों की षक्तियॉ एवं कर्त्तव्य

प्रस्तावना

यह मैनुअल अथवा हस्त पुस्तिका संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अनुरूप विभाग को षासन तथा लोकतन्त्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के साथ–साथ भ्रश्टाचार को रोकने एवं सूचना की पारदर्षिता की अपेक्षा रखने के उद्देष्य से तैयार की गयी है। अधिनियम के अध्याय–2 नियम–4 (1) (ख) में निर्दिश्ट 17 बिन्दुओं में से बिन्दु–01 के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के विभागीय कार्यकलापों को इस हस्त पुस्तिका में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ आम जनमानस के समक्ष सूचना की पारदिर्षिता बनी रहे। उत्तरॉचल सूचना आयोग के निर्देषानुसार इन 17 बिन्दुओं/मैनुअलों का अलग–अलग मैनुअल बनाया जाना है, जो अपने में एक स्वतन्त्र ;जंदक ।सवदमद्ध मैनुअल होगा। इस प्रकार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम्य विकास विभाग, जनपद–चमोली के सभी 17 मैनुअल बने हुए हैं, जिनमें से यह मैनुअल संख्या–02 कहलायेगा।

2– यह मैनुअल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैनुअल में दी गयी कतिपय सूचना षासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गयी है और कतिपय सूचनाओं को इस आधार पर तैयार किया गया है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी आम नागरिकों को सरलतम रूप में प्राप्त हो सके। मैनुअल/पुस्तिका में यथासम्भव सरलतम षब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि आम नागरिकों को इसे समझने में आसानी रहे।

3– इस हस्त पुस्तिका में समाहित विशयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला विकास अधिकारी, चमोली/सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अतिरिक्त यदि अन्य किसी प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो, वह भी जिला विकास अधिकारी, चमोली/सहायक लोक सूचना अधिकारी की अनुमति से प्राप्त की जा सकती है। जो भी व्यक्ति/नागरिक इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा उसे अधिनियम की धारा–6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी भाशा में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा अधिनियम की धारा–7(5) में किये गये प्राविधान के अधीन षासन द्वारा निर्धारित षुल्क रूपये 10/– प्रति आवेदन पत्र नकद जमा करने पर आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना को निम्नानुसार अतिरिक्त षुल्क जमा करने पर 30 दिन की अधिकतम समय सीमा अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है। सूचना उसी रूप में दी जा सकेगी जिस रूप में विभाग द्वारा रखी जाती है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ अथवा एक ही प्रपत्र पर संकलित कर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इसलिए विभाग के पास विभागीय सूचना जिस रूप में होगी उसी रूप में आवेदित व्यक्ति/नागरिक को उपलब्ध करायी जा सकेगी। षासन से निर्धारित षुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) तैयार की गयी सामग्री अथवा किसी अभिलेख की छायाप्रति ।4 या ।3 साइज के कागज

पर एक पृश्ठ की रू0 2 (दो) प्रति पेज की दर से भुगतान करने पर।

(2) बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत के समतुल्य धन0।

(3) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रथम एक घॅटे के लिए कोई षुल्क देय नहीं होगा। एक

घंटे के पष्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके किसी भाग हेतु 5(पॉच) रूपये की दर से षुल्क

देय होगा।

(4) डिस्केट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए 50 रूपये प्रति डिस्केट/फ्लॉपी देय होगी।

(5) सैम्पल/मॉडल की दषा में उसकी वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा।

4– उक्तानुसार निर्धारित षुल्क लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के पास जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद कोशागार प्रपत्र 385 पर प्राप्त की जा सकती है।

□□□□□□□□□□

अधिकारियों और कर्मचारियों की षक्तियॉ एवं कर्त्तव्य

ग्राम्य विकास विभाग में जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की षक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है :–

1– मुख्य विकास अधिकारी :–

षासनादेष संख्या 4492/30–1–5पी/92

1(1) जनपद स्तर पर विकास कार्यक्रमों में गतिषीलता लाने एवं विभिन्न विभागों में वॉच्छित समन्वय स्थापित कर जनपद के समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवष्यक प्रषासनिक ढ़ॉचे एवं व्यवस्था के बारे में गहनता से विचार करने के उपरान्त षासन द्वारा षासनादेष दिनॉक 24 जून, 1992 जो कि **परिषिश्ठ–1** के रूप में संलग्न है, से प्रत्येक जनपद में एक मुख्य विकास अधिकारी, एक परियोजना निदेषक– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं एक जिला विकास अधिकारी की तैनाती का निर्णय लिया गया। जनपदों की प्रास्थिति के अनुसार 28 जनपदों में भारतीय प्रषासनिक सेवा के, 29 जनपदों में बरिश्ठतम पी0सी0एस0 वर्ग के तथा षेश 6 जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी को जिले के विकास कार्यक्रमों का मुखिया बनाते हुए जनपद स्तर पर विकास से जुड़े हुए सभी विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने का दायित्व सोंपा गया है। परियोजना निदेषक को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व तथा जिला विकास अधिकारी को जनपद में विभिन्न विकास सम्बन्धी विभागों में आपसी ताल–मेल स्थापित कर विकास खण्डों के माध्यम से योजनाओं का लाभ जनता तक उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सोंपा गया है। इससे पूर्व कृशि उत्पादन आयुक्त, विधान भवन, लखनऊ का अर्द्ध षासकीय पत्र संख्या 4754/38–1–1980 दिनॉक 11 अगस्त, 1980 के अनुसार नियोजन एवं विकास सम्बन्धी कार्यों में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो जाने, कई नयें विकास कार्यक्रमों के लागू हो जाने तथा जिला मजिस्ट्रेटों की कानून एवं व्यवस्था के कार्य में अतिरिक्त व्यवस्तता और अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) स्तर पर विषेशतः बड़े जिलों में कार्यहित में अधिकारियों की नैरन्तर्यता बनाये रखने सम्बन्धी प्रमुख उद्देष्यों को दृश्टिगत रखते हुए षासन द्वारा प्रथमतः 12 जनपदों– (1) आगरा (2) अलीगढ़ (3) मेरठ (4) इलाहाबाद (5) कानपुर (6) गोरखपुर (7) वाराणसी (8) लखनऊ (9) रायबरेली (10) बरेली (11) मुरादाबाद एवं (12) नैनीताल में ही परियोजना निदेषक–सह–मुख्य विकास अधिकारी के पद का सृजन करते हुए इन पदों पर आई0ए0एस0 संवर्ग के वरिश्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के तहत जनपदों में कार्यरत अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना)/ परियोजना निदेषक/ जिला विकास

अधिकारी को सीधे मुख्य विकास अधिकारी के प्रषासनिक नियन्त्रण में रखते हुए **अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी के कार्यालय को ही मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय बनाया गया है।**

षासनादेष संख्या 6628/38–1–92–2604/85 दिनॉक 19

1(2) उक्त प्रस्तर–1 में वर्णित षासनादेष दिनॉक 24 जून, 1992 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों के पदों का सृजन किये जाने के उपरान्त षासनादेष दिनॉक 19 सितम्बर, 1992 के द्वारा जनपद स्तरीय विकास प्रषासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी के मध्य प्रषासकीय, वित्तीय एवं विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है, जो कि मैनुवल के **परिषिश्ट–2** पर संलग्न है।

षासनादेष संख्या 3576/38–5–99 दिनॉक 31 अगस्त, 1999

1(3) सत्ता के विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन विशयक षासनादेष दिनॉक 31 अगस्त, 1999 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व जो कि पूर्व में जिला अधिकारी को सोंपा गया था, को मुख्य विकास अधिकारी में निहित किया गया है। इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग की समस्त योजनओं के क्रियान्वयन का दायित्व अब जिला अधिकारी के स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी का निर्धारित किया गया है। षासनादेष **परिषिश्ठ–3** पर संलग्न है।

षासनादेष संख्या 1663/38–1–2000–4 पी0/93

1(4) प्रदेष में नई पंचायती राज व्यवस्था के लागू किये जाने और नई व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर विकास कार्यों हेतु उत्तरदायी बनाये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेष षासन के षासनादेष दिनॉक 26 अप्रैल, 2000 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विशयों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त षासनादेषों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी यथा– वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि, अवकाष, निलम्बन, अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही तथा लघु दण्ड, दक्षता रोक, सेवानिवृत्ति लाभ, स्थानान्तरण एवं नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान की गयी है। षासनादेष **परिषिश्ठ–4** पर संलग्न है।

षासनादेष संख्या 412/वन एवं ग्रा. वि / 2001 दिनॉक 29 दिसम्बर,

1(5) नवम्बर, 09, 2000 को उत्तरांचल राज्य का पृथक गठन होने के उपरान्त उत्तरॉचल षासन के षासनादेष दिनॉक 29 दिसम्बर, 2001 के द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त षासनादेषों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि, अवकाष, निलम्बन, अनुषासनिक/ विभागीय कार्यवाही तथा लघु दण्ड/ बृहद दण्ड, दक्षतारोक, सेवा निवृत्ति लाभ, स्थानान्तरण, सामान्य भविश्य निधि,

भण्डार, अग्रिम ऋण एवं नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान की गयी है। षासनादेष **परिषिश्ठ–5** पर संलग्न है।

कार्यालय आदेष संख्या 1563/अधि. प्र. नि./2002–03 दि0 25–10–2002 एवं संख्या

1(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेषालय, उत्तरॉचल के कार्यालय आदेष दिनॉक 25–10–2002 के द्वारा श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकार द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, उत्तरांचल को प्रदत्त कतिपय अधिकार जिनका उल्लेख इस कार्यालय आदेष में दिया गया है, का प्रतिनिधायन उनके सम्मुख अंकित अधिकारी में तत्काल प्रभाव से किया गया है। इसके उपरान्त कार्यालय आदेष संख्या 2034/1–स्था0/67/अ0प्र0नि0/2002–03 दिनॉक 03 जनवरी, 2003 के द्वारा कार्यालय आदेष दिनॉक 25–10–02 के क्रमॉक –11 पर विकास खण्डों / जनपदों के समूह –ग एवं

समूह–घ के कर्मचारियों के 60 दिन से अधिक अर्जित/ चिकित्सा अवकाष की स्वीकृति का अधिकार उपायुक्त (प्रषासन) के बजाय मुख्य विकास अधिकारियों में प्रतिनिधानित किया गया है। विभागाध्यक्ष का कार्यालय आदेष **परिषिश्ठ–6 एवं 7** पर संलग्न है।

1(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल पौड़ी के पत्र संख्या 2534/2–एक–स्था0(38)/2004–05 दिनॉक 6–12–2004 के द्वारा सहायक लेखाकारों के सेवा सम्बन्धी सभी प्रकरण (पदोन्नति के मामलों को छोड़कर) निर्णित/निस्तारित करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी में प्रतिनिधानित किया गया है। पत्र की प्रति **परिषिश्ठ–8** पर संलग्न है।

मुख्य विकास अधिकारी में निहित अधिकारों का विस्तृत उल्लेख उक्त क्रमॉक 1(1) से 1(7) तक में वर्णित प्रस्तरों में किया जा चुका है तथापि सुलभ सन्दर्भ/ अवलोकन हेतु **मुख्य विकास अधिकारी में निहित अधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है :–**

षक्तियॉ	**प्रषासकीय**	**1. नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार–** यह अधिकार सुसंगत सेवा नियमावली में प्राविधानित प्राविधानों के अन्तर्गत निहित किया गया है। उ0प्र0 षासनकाल में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मुख्य सहायक पद पर पदोन्नति का अधिकार निहित है। **2. वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि सम्बन्धी अधिकार–** जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेषक– डीआरडीए के मामले में प्रतिवेदक अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के मामले में समीक्षक अधिकारी का अधिकार और सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.बी./महिला) एवं जिला विकास कार्यालय में कार्यरत प्रषासनिक अधिकारी, लेखाकार, एवं समकक्षीय पदों के पद धारक, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग के मामले में स्वीकृति का अधिकार। **3. अवकाष सम्बन्धी अधिकार–** जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेषक को आकस्मिक अवकाष स्वीकृत करने का अधिकार। जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेषक तथा खण्ड विकास अधिकारी को 30 दिन तक का अर्जित एवं चिकित्सा अवकाष स्वीकृत करने का अधिकार। विकास खण्डों एवं जनपद मुख्यालय पर कार्यरत समूह–''ग'' (तृतीय श्रेणी) व समूह ''घ'' (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को 30 दिन से अधिक का अर्जित/चिकित्सा अवकाष स्वीकृत करने का अधिकार ।

		4.अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही/दण्ड का अधिकार– संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी/महिला) एवं जिला मुख्यालय पर कार्यरत प्रषासनिक अधिकारी, लेखाकार, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग कर्मचारियों के मामले में वृहद दण्ड स्वीकृति का अधिकार। **5. सेवा निवृत्ति लाभ संबन्धी अधिकार**– जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर के श्रेणी ''ग'' के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत करने का अधिकार। **6. स्थानान्तरण का अधिकार**– जनपद के अन्तर्गत संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारियों का एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड को स्थानान्तरण का अधिकार।
	वित्तीय	1. जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त श्रेणी ''ग'' एवं श्रेणी ''घ'' के कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं मोटर वाहन व साईकिल आदि के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार। 2. जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त श्रेणी ''ग'' एवं श्रेणी ''घ'' के कर्मचारियों को विषेश परिस्थिति में भविश्य निर्वाह निधि से अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

	अन्य	सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के तहत मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर सम्पादित होने वाले समस्त विकास कार्यों हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। इस प्रकार विकास कार्यों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण में मुख्य विकास अधिकारी की मुख्य भूमिका है। विकास भवन में मुखिया के रूप में कार्य सम्पादन कराने के साथ–साथ विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी के प्रषासनिक नियन्त्रण में रहते हुए षासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं के अधीन कार्य सम्पादित करना होता है। साथ ही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अधिषासी निदेषक के रूप में तथा जिला पंचायत में मुख्य अधिकारी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को वहॉ पर प्रदत्त अपने प्रषासकीय एवं वित्तीय कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन भी करना होता है।

2– जिला विकास अधिकारी–

षासनादेष संख्या 4492/ 30–1– 5पी/92 दिनॉक 24 जून, 1992 जो कि परिषिश्ठ–1 पर संलग्न है, के अनुसार जिला विकास अधिकारी को जनपद में विभिन्न विकास सम्बन्धी विभागों में आपसी ताल–मेल स्थापित कर विकास खण्डों के माध्यम से योजनाओं का लाभ जनता तक उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सोंपा गया है। इसके साथ ही षासनादेष संख्या 6628/38–1–92–2604/85 दिनॉक 19 सितम्बर, 1992 (संलग्न परिषिश्ठ–2) ,षासनादेष संख्या 1663/38–1–2000–4 पी0/93 दिनॉक 26 अप्रैल, 2000 (संलग्न परिषिश्ठ–4) तथा षासनादेष संख्या 412/ वन एवं ग्रा.वि/2001 दिनॉक 29 दिसम्बर, 2001 **(संलग्न परिषिश्ठ–5)** में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि, अवकाष, निलम्बन, अनुषासनिक/ विभागीय कार्यवाही तथा लघु दण्ड/ बृहद दण्ड, दक्षतारोक, सेवा निवृत्ति लाभ, स्थानान्तरण, सामान्य भविश्य निधि, भण्डार, अग्रिम ऋण एवं नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों के प्रतिनिधायन का पूर्ण उल्लेख किया गया है, तथापि सुलभ सन्दर्भ हेतु जिला विकास अधिकारी में निहित अधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार है :–

षक्तियॉ	**प्रषासकीय**	**1. नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार–** यह अधिकार सुसंगत सेवा नियमावली में प्राविधानित प्राविधानों के अन्तर्गत निहित किया गया है। वर्तमान व्यवस्था में समूह''ग'' लिपिक संवर्ग के निम्नतम पद

		कनिश्ठ सहायक ,जीपचालक एवं समूह ''घ'' के समस्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का अधिकार , कनिश्ठ सहायक से प्रवर सहायक के पद पर पदोन्नति का अधिकार तथा समूह''घ'' के पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की षासन द्वारा निर्धारित कोटे एवं नियमों के तहत कनिश्ठ सहायक पद पर पदोन्नति का अधिकार प्राप्त है। **2. वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि सम्बन्धी अधिकार**– खण्ड विकास अधिकारी के मामले में प्रतिवेदक अधिकारी, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के मामले में समीक्षक अधिकारी, जिला कार्यालय उपसंवर्ग के प्रषासनिक अधिकारी, लेखाकार, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग कर्मचारियों के मामले में प्रतिवेदक अधिकारी तथा कार्यालय के समस्त चतुर्थ श्रेणी एवं जीप चालक के मामले में प्रतिवेदक/स्वीकृतकर्ता अधिकारी का अधिकार प्राप्त है। **3. अवकाष सम्बन्धी अधिकार** खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला विकास कार्यालय में कार्यरत श्रेणी ''ग'' एवं श्रेणी ''घ'' के समस्त कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाष स्वीकृत करने का अधिकार। संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी एवं विकास खण्डों तथा जनपद मुख्यालय पर कार्यरत समूह–''ग'' (तृतीय श्रेणी) व समूह ''घ'' (चतुर्थ श्रेणी) के समस्त विभागीय कर्मचारियों को 30 दिन तक का अर्जित/ चिकित्सा अवकाष स्वीकृत करने का अधिकार। **4.अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही/दण्ड का अधिकार**– संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला कार्यालय उपसंवर्ग के प्रषासनिक अधिकारी, लेखाकार, आषुलिपिक तथा अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के मामले में लघु दण्ड स्वीकृति का अधिकार। ग्राम विकास

		अधिकारी (पुरूश/महिला) तथा विकास खण्ड स्तर पर तैनात समूह''ग'' के कर्मचारियों एवं समूह ''घ'' के समस्त कर्मचारियों के मामले में लघु दण्ड सहित वृहद दण्ड देने का अधिकार। **5. सेवा निवृत्ति लाभ संबन्धी अधिकार**– जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर के समस्त श्रेणी ''घ'' के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत करने का अधिकार। 6. **स्थानान्तरण का अधिकार** ग्राम विकास अधिकारी (पुरूश/महिला), लिपिक वर्ग, वाहन चालक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के तहत जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण का अधिकार।
	वित्तीय	1. जिला विकास कार्यालय एवं विकास खण्ड कार्यालय के अधिश्ठान व्यय अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन–भत्तों, यात्रा–भत्ता, अवकाष यात्रा सुविधा आदि का विभागाध्यक्ष स्तर से आबंटित धनराषि, जो कि उनके निर्वतन पर रखी गयी है, की सीमा के अन्तर्गत आहरण/वितरण का अधिकार। 2. अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम वेतन एवं अग्रिम यात्रा– भत्ता स्वीकृति का अधिकार। 3. रेखीय विभाग (पूल्ड प्लानिंग) से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों के यात्रा–भत्ता नियन्त्रक प्राधिकारी के रूप में अधिकार। 4. एक समय में रू0 10,000 की सीमा तक तथा वर्श में विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित धनराषि की सीमान्तर्गत भण्डार/सामग्री क्रय का अधिकार। 5. एक समय में रू0 10,000 की सीमा तक तथा वर्श में विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित धनराषि की सीमान्तर्गत विभागीय वाहन की मरम्मत पर व्यय का अधिकार। 6. एक समय में रू0 5,000 की सीमा तक

		तथा वर्श में विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित धनराषि की सीमान्तर्गत मुद्रण सम्बन्धी व्यय का अधिकार। 7. प्रत्येक मामले में रू0 2,000 तथा एक वर्श में रू0 20,000 की सीमा अन्तर्गत भण्डार सम्बन्धी हानियों को बट्टे खाते में डालने का अधिकार। 8. प्रत्येक मामले में रू0 1,000 मूल्य तक के निश्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय/नीलामी का अधिकार। 9. रू0 5,000 की सीमा तक प्रषासकीय विभाग को सूचित करते हुए स्टाक में अन्तर्विश्ट स्टोरों के मूल्य और अन्य लेखाओं में कमियॉ/ह्रास (मोटर गाड़िया आदि) के मामले में बट्टे खाते में डालने का अधिकार। 10. अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को रू0 2,000 की सीमा तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का अधिकार। 11. स्वयं के तथा अधिनस्थ कार्यालयों के लिए एक बार में रू0 20,000 की सीमा तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित बजट सीमा के अन्तर्गत लेखन सामग्री की स्थानीय दरों पर क्रय करने का अधिकार। 12. विभागाध्यक्ष द्वारा वार्शिक आय–व्यय नियमन के अन्तर्गत फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति का अधिकार। 13. समूह ''ग'' एवं समूह ''घ'' के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य भविश्य निधि नियमावली के अधीन सामान्य भविश्य निधि से अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति का अधिकार। 14. समूह ''घ'' के कर्मचारियों को सामान्य भविश्य निधि से स्थाई अग्रिम। 15. सेवा निवृत्ति पर अन्तिम भुगतान की स्वीकृति का अधिकार।विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर किये जाने वाले विभिन्न लघु निर्माण कार्य ;च्मजजल ॅवताद्ध पर रू0 20,000 की सीमा तक प्रषासनिक स्वीकृति देने का अधिकार।
	अन्य	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं को षासनादेषों के अनुरूप

		सम्पूर्ण जनपद में सम्पादित कराने तथा वित्तीय वर्श के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिष्चित् कराने की जिम्मेदारी भी जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी की होती है। जनता से प्राप्त षिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण करने के साथ–साथ जिला विकास अधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यों में भी सहयोग प्रदान करना होता है। साथ ही अधिनस्थ कर्मचारियों से उनके जाब चार्ट के अनुसार आबंटित कार्यों को समयबद्धता से सम्पादित कराते हुए उन पर प्रषासनिक नियन्त्रण बनाये रखना है। इसके अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत अपर मुख्य अधिषासी अधिकारी (विकास) के रूप में भी जिला पंचायत के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है।

मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय पर निम्नलिखित कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं। इन पदों का उल्लेख विभागीय संगठनात्मक ढ़ॉचा सम्बन्धी षासनादेष संख्या 610 ६ ग ६ 05 ६ 53 ;65द्ध ६ 04 दिनॉक 24 जून, 2005 तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तरॉचल, पौड़ी के आदेष संख्या 2805/2–1–स्था0/142/05–06 दिनॉक 7–12–2005 में किया गया है, जिसकी प्रति सूचना का अधिकार 2005 के तहत बने मैनुवल संख्या–1 के संलग्न परिषिश्ठ–6 पर है। इन कार्मिकों को विभागाध्यक्ष स्तर से जारी कार्य विभाजन (जाब चार्ट) तथा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी के निर्देषन में षासकीय नियमों/व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने पटल कार्यों का सम्पादन करना होता है।

<u>पदनाम</u> <u>स्वीकृत पद</u>

क– सामान्य संवर्ग

1– प्रषासनिक अधिकारी ग्रेड–2 1 पद
2– मुख्य सहायक 3 पद
3– प्रवर सहायक 6 पद
4– कनिश्ठ सहायक 7 पद
5– आषुलिपिक (मु0वि0अ0 तथा जि0वि0अ0 के लिए) 2 पद

ख– लेखा संवर्ग

1– जिला ऑकिक 1 पद
2– लेखाकार (80–20 प्रतिषत व्यवस्था अन्तर्गत) 2 पद
3– सहायक लेखाकार 3 पद

4– कनिश्ठ लेखा लिपिक (यह पद मृत संवर्ग में है) 1 पद

ग– अन्य पद

1– वाहन चालक 2 पद
2– दफतरी / पत्रवाहक / अर्दली / चपरासी 6 पद
3– स्वीपर–सह–चौकीदार 1 पद

योग :– 35 पद

□□□□□□□□□□

परिषिश्ठ–1

संख्या 4492 / 38–1–5पी / 92

प्रेशक,

श्री विनोद मल्होत्रा,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
सचिव,
उत्तर प्रदेष षासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक जून 24, 1992

विशय : जनपद स्तरीय विकास प्रषासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विशय पर मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि प्रदेष में जनपद स्तर पर विकास कार्यक्रमों में पारदर्षिता लाने एवं

विभिन्न विभागों में वांछित समन्वय स्थापित कर जनपद के समग्र विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु आवष्यक प्रषासनिक ढांचे एवं व्यवस्था के बारे में गहनता से विचार किये जाने के उपरान्त षासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जनपद में एक मुख्य विकास अधिकारी , एक परियोजना निदेषक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं एक जिला विकास अधिकारी की तैनाती की जाय। मुख्य विकास अधिकारी जिले के विकास कार्यक्रमों के मुखिया होंगें एवं जनपद स्तर पर सभी विकास से जुड़े हुए विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करेगे। परियोजना निदेषक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उत्तरदयित्व निर्वहन करेंगे। जिला विकास अधिकारी का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि वे जनपद में विभिन्न विकास सम्बन्धी विभागों में आपसी तालमेल स्थापित कर विकास खण्डों के माध्यमों से इन योजना का लाभ जनता को उपलब्ध करायें ।

2— इस वात पर भी विचार किया गया कि जनपद स्तर के इन महत्वपूर्ण पदों पर प्रषासनिक अधिकारियों के साथ—साथ ग्रामीण विकास से जुडे हुए कार्मिकों को भी तैनात किया जायें क्योंकि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में प्रषासनिक दक्षता के अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनुभव भी प्रभावी समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन पदों पर भारतीय प्रषासनिक सेवा सम्वर्ग, पी0सी0एस0 सम्वर्ग एवं खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के सभी अधिकारियों की सहभागिता सुनिष्चित की जाय।

3— इस समय प्रदेष के 27 जनपदों अर्थात :—
1—अगरा 2— अलीगढ़ 3— इलाहाबाद 4— आजमगढ 5— बहराईच 6— वलिया 7— वरेली 8— बस्ती 9— देवरिया 10— इटावा 11— फैजाबाद 12— फतेपुर 13— गौण्डा 14— गौरखपुर 15— हरदोई 16— जौनपुर 17— झांसी 18— कानपुर (नगर) एवं कानपुर (देहात) 19— लखनऊ 20— मेरठ 21— मुरादाबाद 22— नैनीताल 23— अल्मोड़ा 24— रायबरेली 25— सीतापुर 26—सल्तानपुर 27— बाराणसी में भारतीय प्रषासनिक सेवा सम्वर्ग के अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी

के पद पर तैनात हैं । कानपुर जनपद में कानपुर (नगर) एवं कानपुर (देहात) के लिए एक ही मुख्य विकास अधिकारी हैं, इस तरह से प्रदेष के 28 जनपदों में भारतीय प्रषासनिक सेवा सम्वर्ग के अधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि षेश 35 जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी के प्रस्तावित पदों में से 29 जनपदों में पी0सी0एस0 सम्वर्ग के ऐसे अधिकारियों की तैनाती मुख्य विकास अधिकारी के पद पर की जायेगी जो कि वेतनमान रु0 4500—5700 के वरिश्ठतम अधिकारी होंगें। षेश जनपदों अर्थात :— 1— मथुरा 2— मऊ 3— फिरोजाबाद 4— ललितपुर 5— हरिद्वार 6— महाराजगंज में खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के पद

पर तैनात किये जायेंगे जिन जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के मुख्य विकास अधिकारी तैनात होंगे, वहां पर अपर जिला अधिकारी (परियोजना) तैनात नहीं किये जायेंगे ।

4— प्रदेष के 63 जनपदों में से 50 जनपदों में परियोजना निदेषक के पद इस समय विद्यमान हैं, जिन पर पी0सी0एस0 संवर्ग तथा खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जाती है। पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी अपर जिलाधिकारी (परियोजना) के पद नाम से जाने जाते हैं। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन 5 जनपदों (हरिद्वार, ललितपुर, कानपुर नगर, देहरादून एवं बिजनौर) में परियोजना निदेषक के पद सम्प्रति सृजित नहीं हैं उन जनपदों में भी इन पदों का सृजन करते हुए सभी 63 जनपदों में परियोजना निदेषक नियुक्त किये जायें। इनमें से जिन 19 जनपदों में पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती अपर जिलाधिकारी (परि0) के पद पर की जायेगी वे उत्तरांचल के 8 जनपद तथा मैदानी क्षेत्र के 11 मण्डल मुख्यालय के जनपद होंगे तथा षेश समस्त जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के उपयुक्त अधिकारी की तैनाती परियोजना निदेषक के पद पर की जाय।

5— यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान स्थानान्तरणों में उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिष्चित करा ली जाय। राज्यपाल महोदय इस षासनादेष के संलग्न—1 में वर्णित जनपदों में उल्लिखित अस्थाई पदों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतनमानों में पद धारकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28—2—93 तक सृजित करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये पद पूर्णतया अस्थाई होंगे तथा इस अवधि से पहले भी विना किसी पूर्व सूचना के इन्हें समाप्त किया जा सकता है।

6— इन पदों के सृजन के फलस्वरुप ग्राम विकास अधिकारी के रु0 975—1660 के वेतनमान के 140 पदों तथा वरिश्ठ प्रषिक्षक के रु0 1400—2600 के वेतनमान के 4 पदों को आस्थगित रखा जायेगा और इन पदों को आस्थगित रखने के कारण वेतन ,मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के मद में होने वाली बचत की धनराषि का उपयोग मुख्य विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेषक के सृजित किये जाने वाले पदों से सम्बन्धित वेतनादि में किया जायेगा।

7— मुख्य विकास अधिकारी के पदों के सृजन के फलस्वरुप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्श 1992—93 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या —13 के लेखा षीर्शक —2515— अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम —आयोजनागत —102
सामुदायिक विकास —10 संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8— परियोजना निदेषक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पदों के सृजन से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्श 1992—93 के अनुदान संख्या —13 के लेखा षीर्शक —2501— ग्राम विकास के लिए

विषेश कार्यक्रम –01 –समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –000– अन्य व्यय –01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें –0101 –एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9– मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (परि0)/ परियोजना निदेषक के पदों पर अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में मार्ग निर्देषक सिद्धान्त इस षासनादेष के संलग्न–2 पर लगा दिये गये हैं जिसका कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिष्चित किया जाये।

10– ये आदेष वित्त विभाग के अर्द्धषासकीय संख्या ई–2–1077/ दस–92 दिनांक जून 24, 1992 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि। भवदीय,

ह0/–
(विनोद मल्होत्रा)
सचिव

संख्या 4492(1) /30–1 दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1– महालेखाकार प्रथम उत्तरप्रदष इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त संयुक्त /उप विकास आयुक्त,उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी ,उ0प्र0।
5– समस्त कोशाधिकारी,उए0प्र0।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी(विकास)/जिला विकास अधिकारी /अतिरिक्त जिलाधिकारी(परियोजना)/परियोजना निदेषक, उ0प्र0।
7– समस्त प्रधानाचार्य,क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान ,उ0प्र0।
8– ग्राम्य विकास संगठन के समस्त विभागाध्यक्ष ।
9– कृशि उत्पादन आयुक्त, षाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।
10–वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त लेखा अनुभाग –1/2/वित्त वेतन आयोग अनुभाग–1/2 ।
11– ग्राम्य विकास अनुभाग –3/6/नियुक्ति अनुभाग –1/2
12– इरला वेतन पर्ची अनुभाग ।
13– गार्ड बुक ।

आज्ञा से
ह0/–
(वेद प्रकाष)
संयुक्त सचिव

षासनादेष संख्या 4492/30–1–5 पी0/92 दिनांक जून 24. 1992 का

संलग्नक–1

(षासनादेष का प्रस्तर– 4 देखिये)

क्र0 सं0	पदों का विवरण	पदों की संख्या	वेतनमान
1–क	खीरी, उन्नाव, बराबंकी, सिद्धार्थनगर,गाजीपुर,मिर्जापुर ,सोनभद्र,फरूखाबाद, प्रतापगढ, बांदा, हमीरपुर, जालौन, वादांऊ, षाहजहांपुर, पीलीभीत, ऐटा, मैनपुरी, बुलन्दषहर, मुज्जफरनगर, सहारनपुर,गाजियाबाद ,रामपुर , विजनौर,पिथोरागढ, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढवाल, देहरादून, चमोली तथा उत्तरकाषी में प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी का एक–एक पद	29 उन्नतीस	रु0 4500–150–5700 (इन पदों पर पी0सी0 एस0 संवर्ग के रु0 4500–5700के वेतनमान के वरिश्ठतम अधिकारियों की तैनाती की जायेगी ।
ख	मऊ, महाराजगंज ,ललितपुर, मथुरा, फिरोजाबाद और हरिद्वारा में प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी का एक–एक पद	6 छः	रु0 3200–100–3500– 125–4075 (इन पदों पर खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के श्रेणी–1 के ऐसे अधिकारियों में से श्रेश्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा तैनाती की जायेगी, जिन्होने इस रुप में 2 वर्श की सेवा पूरी कर ली हो।
	योग :–	35	
2–क	हरिद्वार,ललितपुर, कानपुर नगर, देहरादून,एवं विजनौर में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के लिए पारियोजना निदेषक का एक–एक पद	05 पांच	रु0 3000–100–3500– 125–4500
	कुल पदों का योग :–	40	

ह0/–

(वेद प्रकाष
षर्मा)

संयुक्त
सचिव

टिप्पणी :– षासनादेष संख्या 5408/38–1–92–5पी/92 दिनॉक 24 जून, 1992 के द्वारा उक्त क्रमॉक 1(क) में पी0सी0एस0 संवर्ग के वरिश्ठतम अधिकारियों के लिए वर्णित वेतनमान संषोधित कर रू0 4500–150–5700/रू0 5100–5700 किया गया है।

षासनादेष संख्या 4492/30–1–5 पी0/92 दिनांक जून 24. 1992 का

संलग्न–2

(षासनादेष का प्रस्तर – 8 देखिये)

ग्राम्य विकास विभाग के अधीन मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेषक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पदों पर तैनाती के बारे में मार्ग निर्देषक सिद्धान्तः–

1– प्रदेष के निम्नलिखित 28 जनपदों में भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं और इस व्यवस्था को भविश्य में भी बनाये रखा जायेगा :–

1–आगरा 2–अलीगढ़ 3–इलाहाबाद 4–आजमगढ़ 5–बहराइच 6–वलिया 7–बरेली 8–बस्ती 9–देवरिया 10–इटावा 11–फैजाबाद 12– फतेहपुर 13–गौण्डा 14–गौरखपुर 15–हरदोई 16–जौनपुर 17–झांसी 18–कानपुर नगर एवं कानपुर देहात 19–लखनऊ 20–मेरठ 21–मुरादाबाद 22–नैनीताल 23–अल्मोड़ा 24–रायबरेली 25–सीतापुर 26–सुल्तानपुर 27–बाराणसी

2– निम्नांकित 29 जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर ऐसे पी0सी0एस0 अधिकारियों की तैनाती की जायेगी जो कि वेतनमान रु0 4500–5700 के वरिश्ठतम अधिकारी हैं :–

1–खीरी 2–उन्नाव 3–वराबंकी 4–सिद्धार्थनगर 5–गाजीपुर 6–मिर्जापुर 7– सोनभद्र 8–फरुखाबाद 9–प्रतापगढ़ 10–बांदा 11–हमीरपुर 12– जालौन 13–बदायूं 14–षाहजहांपुर 15–पीलीभीत 16–ऐटा 17–मैनपुरी 18–बुलन्दषहर 19–मुज्जफरनगर 20–सहारनपुर 21–गाजियाबाद 22–रामपुर 23–विजनौर 24–पिथोरागढ़ 25–पौड़ीगढ़वाल 26– टिहरी गढ़वाल 27–देहरादून 28–चमोली 29–उत्तरकाषी

3– प्रदेष में षेश 6 जनपदों जो निम्नलिखित हैं, में खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात किये जायेंगे ।

1–मथुरा 2–मऊ 3–फिरोजाबाद 4–ललितपुर 5–हरिद्वार 6–महाराजगंज

4– जिन जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के मुख्य विकास अधिकारी तैनात होंगे वहां पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) तैनात नहीं किये जायेंगे ।

5— 63 जनपदों में अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/परियोजना निदेषक/ जिला विकास अधिकारी के कुल पदों में से कानपुर एक ही जनपद गिना जा रहा है। 19 जनपदों में अपर जिलाधिकारी (परियोजना) तैनात होंगे।षेश जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के परियोजना निदेषक एवं जिला विकास अधिकारी तैनात होगे।

6— 19 जनपदों जहां कि अपर जिलाधिकारी (परियोजना) तैनात किये जायेंगे, वे जनपद 8 पहाड़ी जनपद तथा मैदान के 11 मण्डल मुख्यालय के जनपद होंगे। इस प्रकार लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर , वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद , झांसी, बरेली ,आगरा ,मेरठ, मुरादाबाद ,नैनीताल ,अल्मोड़ा , पिथोरागढ़, पौड़ीगढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, चमोली और उत्तरकाषी जनपदों में अपर जिलाधिकारी (परियोजना) की तैनाती की जायेगी ।

————————————————

परिषिश्ट—2

संख्या 6628/38—1—92—2604/85

प्रेशक,

के0आर0 भाटी,
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेष षासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक सितम्बर 19, 1992 ।

विशय— जनपद स्तरीय विकास प्रषासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु
जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास
अधिकारी के मध्य प्रषासकीय वित्तीय एवं विविध अधिकारों का
प्रतिनिधायन ।

महोदय,

उपर्युक्त विशय पर आपके अर्द्ध षासकीय पत्र संख्या 7020/ स्था0—प्र0/92 दिनांक 10 अगस्त 1992 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि इस विशय पर विद्यमान समस्त आदेषों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल महोदय जनपद स्तरीय विकास प्रषासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु षासनादेष संख्या 4492/38—1—5 पी0/92 दिनांक 24 जून 1992 (जिसके द्वारा प्रदेष

के समस्त जनपदों में एक–एक मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और परियोजना निदेषक की तैनाती का निर्णय लिया गया है) के क्रम में जिलाधिकारियों , मुख्य विकास अधिकारियों एवं जिला विकास अधिकारियों के मध्य ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित प्रषासकीय वित्तीय एवं अन्य विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन इस आदेष के साथ संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार करते हैं।

2– बजट आवंटन एवं सामानों के क्रय इत्यादि के बारे में जिला विकास अधिकारी वित्तीय नियमों एवं षासनादेषों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करेंगे परन्तु ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन विषेश कार्यक्रमों से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में वित्तीय अधिकारों की सीमा निर्धारण से सम्बन्धित नीति विशयक षासनादेष षीघ्र ही जारी किया जायेगा ।

3– उत्तर प्रदेष के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के बारे में परियोजना निदेषक , सम्बन्धित अभिकरण में परियोजना अधिकारी एवं सदस्य संयोजक के दादित्वों का कार्यभार सम्भालेंगे तथा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी /अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सामान्य एवं विषेश आदेषों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों मे नियुक्त एवं भविश्य में नियुक्त होने वाले कार्मिकों की सेवा षर्तों के बारे में सामान्य सेवा नियमावली जो प्रत्येक अभिकरण द्वारा षीघ्र ही जारी होने वाली है, के प्राविधानों के अनुसार कार्यवही की जावेगी।

4– जिन विशयों का उल्लेख इस आदेष में नहीं हो पाया है, उन विशयों के बारे में जिलाधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष जो भी अंतिम हो , का निर्णय सर्वोपरि होगा।

5– इन आदेषों के जारी होने के फलस्वरुप जिन सेवा नियमावलियों में संषोधन की आवष्यकता पड़ेगी उसे यथा समय संषोधित कर दिया जायेगा।

6– ये आदेष तात्कालिक प्रभाव से माने जायेंगे।

संलग्न :– अधिकारों के प्रतिनिधायन से संबंधित सूची

भवदीय,
ह0/–
(के0आर0भाटी)
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई,
उ0 प्र0 षासन

सूची :–

<u>षासनादेष संख्या 6628/38–1–92–2604/85 दिनांक 19 सितम्बर 1992 का संलग्नक</u>

जनपद स्तरीय विकास प्रषासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी के मध्य प्रषासकीय ,वित्तीय एवं विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन

क्रमांक तथा विवरण	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी जिनके द्वारा प्रयोग किया जायेगा ।
1	2	3
<u>(क) नियुक्तियां/पदोन्नतियां/विभागीय कार्यवाही</u>		
1– ग्राम्य विकास विभाग लिपिक		

	वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय उप संवर्ग के प्रधान लिपिक,लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पद धारक तथा आषु लिपिक के पद	नियुक्ति का अधिकार	जिलाधिकारी
2–	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के जिला कार्यालय उप संवर्ग में से वरिश्ठ सहायक तथा सहायक लेखाकार व समकक्षीय के पद धारक	नियुक्ति का अधिकार	मुख्य विकास अधिकारी
3–	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली के जिला कार्यालय उप संवर्ग में से वरिश्ठ लिपिक, लेखा लिपिक, कनिश्ठ लिपिक, वाहन चालक एवं अन्य समकक्षीय पद के पद धारक	नियुक्ति का अधिकार	जिला विकास अधिकारी
4–	जिला विकास कार्यालय –– ऐ –– उप संवर्ग के अधीन समूह घ के समस्त पदों के पद धारक	––ऐ––	
5–	निलम्बन/लघुदण्ड /वृहद – दण्ड़ सहित समस्त विभागीय कार्यवाही	सुसंगत नियमावली के आधार पर सभी प्रकार की	अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा,लेकिन अत्यन्त विषेश परिस्थितियों में जिला अधिकारी इस आदेष में उल्लिखित पद धारकों के बारे में निलम्बन के अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

(ख) अवकाष की स्वीकृति

1– राज पत्रित अधिकारियों के बारें में प्रतिस्थानी के विना 42 दिन तक का अवकाष	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
2– विना प्रतिस्थानी के अराजपत्रित अधिकारियों के बारे में 42 दिनों का अवकाष	––ऐ––	जिला विकास अधिकारी
3– अराज पत्रित अधिकारियों के बारे में 42 दिन से अधिक का अवकाष प्रतिस्थानी के साथ	––ऐ–	मुख्य विकास अधिकरी

(ग) दक्षता रोक पार करने का अधिकार

इस आदेष में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार के पद धारक के बारे में	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी

(घ) यात्रा भत्ता विल पर नियंत्रण का अधिकार

1– राज पत्रित अधिकारी (संग्रहित जिला कार्यालय)	नियंत्रक अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
2– अराज पत्रित अधिकारी	––तदैव––	–– तदैव––

(घ) स्थानान्तरण (जनपद में)

1–एक विकास खण्ड से दूसरें विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण	सक्षम अधिकारी	जिलाधिकारी
2–अराज पत्रित कर्मचारी एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

(छ) सेवा निरन्तरता प्रमाण पत्र

1–खण्ड विकास अधिकारी (यदि अवकाष की अवधि 42 दिन तक हो)	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
2–समस्त अराज पत्रित कर्मचारी (संग्रहीत जिला कार्यालय)	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

(त्र) सेवा नैवृत्तिक लाभ यथा पेंषन/ग्रेच्यूटी इत्यादि की स्वीककृति, मृतक सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत कर्मचारी के अवषेश देयकों आदि की स्वीकृति

इस आदेष में वर्णित सभी
पद के पद धारकों के बारे स्वीकृर्ता अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी
में

(ज्ञ) अग्रिम वेतन,यात्रा भत्ता की स्वीकृति का अधिकार

1–ऐसे पद ,जिनके वेतन सक्षम अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी
मान का न्यूनतम वेतन
रु0 1400.00 से अधिक न
हो तथा जिनके स्थानान्तरण
का आदेष हो चुका हो का
एक माह का वेतन तथा यात्रा
भत्ता का अग्रिम स्वीकार करना

2–ऐसे पद जिनके वेतनमान
का न्यूनतम वेतन रु0 1200 सक्षम अधिकारी जिला विकास अधिकारी
से अधिक न हो ।

(ट) आहरण एवं वितरण का अधिकार

जिला विकास कार्यालय को
आवंटित वजट एवं वित्तीय आहरण एवं जिला विकास अधिकारी
स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वितरण अधिकारी

(ठ) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में वार्शिक गोपनीय मन्तब्य अंकित करने का स्तरीकरण

लोक सेवक के पद का नाम जिनके बारें में प्रविश्टि अंकित की जानी है	**प्रतिवेदक अधिकारी**	**समीक्षक अधिकारी**	**स्वीकर्ता अधिकारी**
1	2	3	4

1–खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधि0 जिलाधिकारी (परियोजना निदेषक की आयुक्त/संयुक्त आख्या भी प्राप्त की जायेगी	मुख्य विकास अधिकारी	(उप विकास आयुक्त की आख्या भी प्राप्त की जायेगी)
2–सहायक विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
3– ग्राम विकास अधिकारी एवं समकक्षीय विभागीय पद	खण्ड विकास अधिकारी	–	जिला विकास अधिकारी
4– कार्यालय सहायक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	खण्ड विकास अधिकारी	–	जिला विकास अधिकारी
5– अनुभागीय कर्मचारी	विभागीय जिलास्तरीय अधिकारी की संस्तुति पर जि0वि0अधि0	–	मुख्य विकास अधिकारी
6–जिला विकास कार्यालय में	जिला विकास अधिकारी	–	मुख्य विकास अधिकारी

2– यह स्पश्ट किया जाता है कि चरित्र पंजिकाओं में गोपनीय मन्तब्य अंकित किये जाने या अन्यथा जिलाधिकारी अपने विषेश आदेषों के द्वारा यदि किसी समय प्रतिकूल या अनूकूल मन्तब्य पारित करते हैं तो उनका आदेष अंतिम होगा लेकिन यदि किसी समय मण्डलायुक्त अपने विषेश आदेषों के अधीन ऐसी प्रविश्टियां अंकित किये जाने के बारे में निर्देष जारी करें तो ऐसी स्थिति में उनके आदेष अंतिम होंगे।

(ङ) अपीलीय अधिकार

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरुप नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन अधिकारी द्वारा पारित कठोर दण्ड (पदावनति सेवा से पृथकीकरण और सेवा समाप्ति) के आदेष के विरुद्ध सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपने नियुक्ति प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी को अपील की जा सकेगी। अपीलेण्ट अथारिटी के निर्णय के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर पनिषमेंट एण्ड अपील रुल्स फार सर्वोडिनेट सर्विसेज

में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विभागीय कार्यवाही के परिणाम स्वरुप अन्य दण्डों के बारे में पारित आदेषों के विरुद्ध संबन्धित कार्मिक द्वारा अपने नियुक्त प्राधिकारी के एक स्तर से ऊपर के अधिकारी को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिनके निर्णय के विरुद्ध प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन पर उपरोक्त संदर्भित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ठ) प्रषासनाधिकरण की संस्तुतियों पर कार्यवाही

अनुषासनिक कार्यवाही (प्रषासनाधिकरण) नियमावली, 1947 की संस्तुतियों के आधार पर इन कार्मिकों में से किसी भी कार्मिक के विरुद्ध दण्ड का आदेष उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि नियमानुसार प्रषासनाधिकारण की संस्तुति पर या तो श्री राज्यपाल की ओर से दण्ड़ित किया जाता है या प्रतिनिधायन की दषा में अराजपत्रित कार्मिकों के बारे में विभागाध्यक्ष आदेष पारित कर सकते हैं।

आज्ञा से

ह0/–

(के0आर0भाटी)
सचिव,
ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई

उ0प्र0षासन।

परिषिश्ट–3

संख्या –3576/38––99

प्रेशक,

श्री रमेन्द्र त्रिपाठी,
विषेश सचिव,
उत्तर प्रदेष षासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेष ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त , 1999

विशय– सत्ता के विकेन्द्रीकरण को मूर्त रुप देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सम्यक दिषा निर्देष/षासनादेष निर्गत किये जा चुके हैं। इन दिषा निर्देषों /षासनादेषों में योजनाओं के क्रियान्वयन का

दायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है, किन्तु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अब ग्राम्य विकास विभाग की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा। अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ,जिन दिषा निर्देषों/षासनादेषों में जिलाधिकारी का उल्लेख हो उसे मुख्य विकास अधिकारी पढ़ा जाय।

इसी क्रम मे मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि ग्राम्य पंचायतों में ग्राम्य विकास विभाग के तैनात किये गये ग्राम विकास अधिकारियों का पद नाम ग्राम पंचायत स्तर पर '' **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी** '' होगा ।

इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये दिषा निर्देषों/षासनादेष इस सीमा तक संषोधित समझे जायेंगे।

यह आदेष तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,
ह0/–
राजेन्द्र त्रिपाठी,
विषेश सचिव

परिषिश्ट –4
संख्या –1663/38–1–2000–4
पी0/93

प्रेशक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उ0प्र0 ,षासन ।

सेवा में,

1– आयुक्त ,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0 ।
3– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0 ।

ग्राम्य विकास अनुभाग –1 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2000

विशय– ग्राम्य विकास विभाग के समस्त फील्ड़ स्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियो के सेवा संबंधी प्रकरणों के सम्बन्ध मे अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक ,आयुक्त ग्राम्य विकास ,उ0प्र0 के अ0षा0पत्र संख्या बी–20/स्था0–2 / 2000 दिनांक 5–1–2000 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि प्रदेष में नई पंचायत राज व्यवस्था लागू की जा चुकी है और पंचायतों को प्रषासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर विकास कार्यो हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। अतएव अपर आयुक्त, उततरांचल को विभागाध्यक्ष के रुप में अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्बन्धी ग्राम्य विकास अनुभाग–1 के षासनादेष संख्या –10255/38–1–95 दिनांक 15–2–96 को छोड़कर ग्राम्य विकास विभाग के फील्ड़ स्तरीय अधिकारियों /कर्मचारियों के सेवा संबंधी विशयों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त षासनादेषों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल ,ग्राम्य विकास विभाग के फील्ड़ स्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा संबंधी यथा वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि ,अवकाष, निलम्बन, अनुषासनिक ,विभागीय कार्यवाही तथा लघु दण्ड ,दक्षता रोक ,सेवा निवृत्तिक लाभ, स्थानान्तरण, नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन संलग्न परिषिश्टों (क,ख,ग, घ, ड. एवं च) में उल्लिखित अधिकारियों को करने की स्वीकृति सहर्श प्रदान करते हैं।

2– प्रविश्टियां लिखे जाने के बारे में प्रत्येक पद के संदर्भ में प्रतिवेदक,समींक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण षासन स्तर से कर दिया गया है, जो इस षासनादेष के साथ संलग्न परिषिश्टों में उपलब्ध है। इन परिषिश्टों में निर्धारित प्रक्रिया के लागू होने की तिथि से इस विशय पर पूर्व में

जारी समस्त षासकीय निर्देषों ,ग्राम्य विकास अनुभाग–1 के षासनादेष संख्या 10255/38–1–95 दिनांक 15–2–96 को छोड़ते हुए अवक्रमित समझे जायेंगे। वार्शिक गोपनीय प्रविश्टियां अंकित करने के सम्बन्ध में यह सामान्य विभागीय प्रक्रिया है, जो कार्मिक अनुभाग–2 के षासनादेष संख्या–26/1/76–कार्मिक–2
दिनांक 21 मई 1976 के क्रम में निष्चित की गई है।

3– कार्यों एवं अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दिषा में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की भूमिका से सम्बन्धित प्रषासनिक सुधार अनुभाग–2 से जारी षासनादेष संख्या –1520/47–2–14 –2

(10)– 82 दिनांक 29 अप्रैल 1982 में से मण्डल स्तर तथा जिला स्तर के अधिकारियों की प्रविश्टि लिखने के बारे में संगत अंषों का पूर्ववत् प्रभाव बना रहेगा।

4– इसके अतिरिक्त जिला स्तर के अधिकारियों व क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के बारे में वार्शिक गोपनीय आख्या अंकित किये जाने विशयक षासनादेष संख्या –36/3/1976– कार्मिक–2 दिनांक 6 मई 1985 में जिला अधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को प्रदत्त विषेश अधिकार पूर्ववत् लागू रहेंगे।

5– पर्वतीय क्षेत्रों में विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारियों की वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि अंकित करने के सम्बन्ध में षासनादेष संख्या–36/ 10/1976–का0–2 दिनांक 31 दिसम्बर 1983 द्वारा षासन के उत्तरांचल विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव जैसी भी स्थिति हो को दिये गये विषेशाधिकार भी पूर्ववत् रहेंगे।

6– पर्वतीय क्षेत्रों हेतु अपर आयुक्त, उततरांचल को विभागाध्यक्ष के रुप में ग्राम्य विकास अनुभाग–1 के षासनादेष संख्या 10255/38–1–95/ दिनांक 15–2–96 द्वारा प्रदत्त किये विषेश अधिकारों का पूर्ववत् प्रभाव बना रहेगा।

7– प्रतिकूल प्रविश्टियों के विरुद्ध सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी से ठीक ऊपर के अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रत्यावेदन प्रेशित किया जायेगा ,जिसको अस्वीकृति की दषा में विभागाध्यक्ष या षासन जैसी भी दषा हो जो प्रति – प्रत्यावेदन '' मेमोरियल '' दिया जा सकेगा। इस संबंध में अलग से आदेष निर्गत किये जायेंगें।

8– चरित्र पंजी में प्रविश्टि अंकित करने ,सत्यनिश्ठा प्रमाण पत्र दिये जाने ,प्रतिकूल प्रविश्टि सम्बन्धी कार्मिक को संसूचित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविश्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के बारे में षासन के कार्मिक विभाग से समय– समय पर जारी निर्देषों का अनुपालन कडाई के साथ सुनिष्चित किया जायेगा।

9– समूह '' क '' के अधिकारियों की चरित्र पंजिका को अंतिम स्वरुप दिये जाने से संबंधित अधिकारों का प्रतिनिधायन दिनांक 01–04–2000 से प्रभावी होगा और समूह '' क '' के कार्मिकों जिनकी प्रविश्टि पर स्वीकर्ता अधिकारी के रुप में षासन को ग्राम्य विकास विभाग के सचिव का मन्तब्य अंकित किये जाते हैं, उन मामलों में वर्श 1999–2000 की प्रविश्टियां विभागाध्यक्ष द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी तथा वे स्वीकर्ता अधिकारी के रुप में अपना मन्तब्य अंकित करेंगे।

10– समूह ''क'' तथा '' ख '' के ऐसे अधिकारियों जिनकी वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि को स्वीकर्ता अधिकारी के रुप में अंतिम स्वरुप दिये जाने का अधिकार षासन से भिन्न विभागाध्यक्ष या अन्य किसी प्राधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है , की चरित्र

पंजिकायें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रखी जायेगी और उन्हीं के द्वारा उनका रख– रखाव सुनिष्चित किया जायेगा परन्तु आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 या प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा आदि पर आये कार्मिकों के बारे में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

11– राजकीय सेवा सम्बन्धी मामलों के त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु चरित्र पंजी में प्रविश्टि ,सत्यनिश्ठा तथा दक्षता रोक संबंधी षासनादेषों का एक संकलन षासन के कार्मिक विभाग द्वारा भाशा प्रकाषन के माध्यम से हाल ही में वर्श 1999 में प्रकाषित किया गया है, जिसकी प्रति षासन के वरिश्ठ प्रषासन अधिकारी से पात्र अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

12– कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को आदेष की प्रतियां अपने स्तर से पृश्ठांकित करने का कश्ट करें एवं षासनादेष के साथ संलग्न परिषिश्टों (क,ख,ग,घ,ड. एवं च) में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जाय।

भवदीय,
ह0 / –
(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव,

षासनादेष संख्या 1663/38–1–2000–4 पी0/93 दिनांक 26–4–2000 का संलग्नक – **परिषिश्ट–क से च तक**

ग्राम्य विकास विभाग के समस्त फील्ड़ स्तरीय अधिकारियों/अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन

1–वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि संबंधी अधिकार :–

क्र0सं0	पद नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकार	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	आयुक्त ,ग्रा0वि0विभाग	उत्तरांचल के जनपदों में यह अधिकार अपर आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग (उत्तरांचल) में निहित रहेंगे।
2	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	आयुक्त,ग्राम्य विकास विभाग	––तदैव––
3	अपर जिलाधिकारी(परि0)	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	आयुक्त,ग्राम्य विकास विभाग	––तदैव––
4	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	प्रमुख ,क्षेत्र पंचायत का मंतब्य निर्धारित प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में यथावत् सम्मिलित किया जायेगा।
5	अपर परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	–
6	सहायक परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	–
7	सहायक परि0अधि0–महिला	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	–
8	परियोजना अर्थषास्त्री	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास	मण्डलायुक्त	–

			अधिकारी		
9	सहायक अभियन्ता	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त	—
10	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन कार्यालय उपसंवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं सम–कक्षीय पदों के पद धारक एवं आषुलिपिक के पद	जिला विकास अधिकारी	—	मुख्य विकास अधि0	—
11	सहा0विकास अधि0–महिला	खण्ड विकास अधिकारी	—	परियोजना निदेषक	—
12	सहा0विकास अधि0–आईएसबी	खण्ड विकास अधिकारी	—	परियोजना निदेषक	—

2–अवकाष संबंधी अधिकार

क0 सं0	पद नाम	अवकाष की श्रेणी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जिला विकास अधिकारी	आकस्मिक 30 दिन तक अर्जित अवकाष 30 दिन से अधिक अर्जित अवकाष	मुख्य विकास अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तरांचल के जनपदों में यह अधिकार अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास (उत्तरांचल) में निहित रहेंगे।
2	परियोजना निदेषक	उपरोक्त	उपरोक्त	––तदैव––
3	अपर जिलाधिकारी (परि0)	उपरोक्त	उपरोक्त	––तदैव––
4	खण्ड विकास अधिकारी	आकस्मिक 30 दिन का अर्जित अवकाष 30 दिन से अधिक अर्जित	मुख्य विकास अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी संयुक्त/उप विकास	प्रमुख–क्षेत्र पंचायत आकस्मिक/निर्बन्धित अवकाष तथा भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत करेंगे।

		अवकाष	आयुक्त	
5	अपर परियोजना निदेषक	उपरोक्त	उपरोक्त	—
6	सहायक परियोजना निदेषक	उपरोक्त	उपरोक्त	—
7	सहा0परि0अधि0(महिला)	उपरोक्त	उपरोक्त	—
8	परियोजना अर्थषास्त्री	आकस्मिक 30 दिन तक का अर्जित अवकाष 30 दिन से अधिक अर्जित अवकाष	परियोजना निदेषक मुख्य विकास अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी	—
9	सहायक अभियन्ता	उपरोक्त	उपरोक्त	—
10	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक एवं आषुलिपिक के पद	आकस्मिक 30 दिन तक अर्जित अवकाष 30 दिन से अधिक अर्जित अवकाष	जिला विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी	—
11	सहा0विकास अधि0(महिला)	आकस्मिक 30 दिन तक अर्जित अवकाष 30 दिन से अधिक अर्जित अवकाष	खण्ड विकास अधिकारी परियोजना निदेषक मुख्य विकास अधिकारी	—
12	सहा0वि0 अधि0(आईएसबी)	उपरोक्त	उपरोक्त	—

3— निलम्बन, अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही तथा लघु दण्ड का अधिकार

क्र0 सं0	पदनाम	दण्ड की श्रेणी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	जिला विकास अधिकारी	लघु एवं वृहद दण्ड	उत्तर प्रदेष षासन	—
2	परियोजना निदेषक	लघु एवं वृहद दण्ड	उत्तर प्रदेष षासन	—

3	अपर जिलाधिकारी–परियोजना	लघु एवं वृहद दण्ड	उत्तर प्रदेष षासन	–
4	खण्ड विकास अधिकारी	लघु दण्ड	आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तरांचल के जनपदों में लघु दण्ड के सम्बन्ध में यह अधिकार अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास (उत्तरांचल) में निहित रहेंगे।
5	अपर परियोजना निदेषक	उपरोक्त	उपरोक्त	–
6	सहायक परियोजना निदेषक	उपरोक्त	उपरोक्त	–
7	सहा0परि0अधिकारी– महिला	लघु दण्ड वृहद दण्ड	परियोजना निदेषक आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तरांलच के जनपदों में लघु दण्ड के सम्बन्ध में यह अधिकार अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास (उत्तरांचल) में निहित रहेंगे।
8	परियोजना अर्थषास्त्री	लधु दण्ड वृहद दण्ड	आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेष षासन	उत्तरांलच के जनपदों में लघु दण्ड के सम्बन्ध में यह अधिकार अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास (उत्तरांचल) में निहित रहेंगे।
9	सहायक अभियन्ता	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
10	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक एवं आषुलिपिक के पद	लघु दण्ड वृहद दण्ड	जिला विकास अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी	–
11	सहायक विकास अधिकारी–महिला	लघु दण्ड वृहद दण्ड	परियोजना निदेषक मुख्य विकास अधिकारी	–
12	सहा0विकास अधि0–आईएसबी	उपरोक्त	उपरोक्त	–

4– दक्षता रोक सम्बन्धी अधिकार

क्र0सं0	**पदनाम**	**स्वीकर्ता अधिकारी**	**अभ्युक्ति**
1	**2**	**3**	**4**
1	सहायक विकास अधि0–आईएसबी	उप/संयुक्त विकास आयुक्त	–
2	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय उप संवर्ग के प्रधान लिपिक,	मुख्य विकास अधिकारी	–

	लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक एवं आषुलिपिक के पद		
3	सहायक विकास अधिकारी–महिला	मुख्य विकास अधिकारी	–

5– सेवा निवृत्तिक लाभ सम्बन्धी अधिकार

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक एवं आषुलिपिक के पद	सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी	–

6– स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकार :–

क्र0सं0	पदनाम	सक्षम अधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	खण्ड विकास अधिकारी (एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में)	मुख्य विकास अधिकारी	–
2	सहायक विकास अधि0–महिला (जनपद के अन्तर्गत)	मुख्य विकास अधिकारी	–
3	सहा0विकास अधि0–आईएसबी (जनपद के अन्तर्गत)	मुख्य विकास अधिकारी	–
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी (जनपद के अन्तर्गत)	मुख्य विकास अधिकारी	–
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी (अन्तर्जनपद)	आयुक्त,ग्राम्य विकास/अपर आयुक्त, उत्तरांचल	–

7– नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार

यह अधिकार संगत नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार होगा।

ह0/–
(राजेन्द्र भोनवाल)
सचिव।

परिषिश्ट –5

पत्रांक 412 /वन एवं ग्रा.वि./2001

प्रेशक,

डा0 आर.एस. टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास षाखा,
उत्तरांचल षासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
समस्त परियोजना निदेषक, उत्तरांल।

वन एवं ग्राम्य विकास षाखा देहरादून दिनांक 29 दिसम्बर, 2001

विशय : ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में अधिकारी का प्रतिनिधायन।

महोदय,

कृपया सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेष षासन के पत्र संख्या 1663/38–एक–2000–4 पी/93 दिनांक 26 अप्रैल, 2000 का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है।

2– मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर सभी विकास कार्यों हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। अतः ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विशयों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त षासनादेषों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि, अवकाष, निलम्बन, अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही तथा लघुदण्ड/ बृहद दण्ड, दक्षतारोक, सेवा निवृत्त लाभ, स्थानान्तरण, सामान्य भविश्य निधि, भण्डार, अग्रिम ऋण एवं नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन संलग्न परिषिश्टों में उल्लिखित अधिकारों को निश्पादित करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– वार्शिक प्रविश्टियां लिखे जाने के बारे में प्रत्येक पद के संदर्भ में प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण षासन स्तर पर कर दिया गया है, तो षासनादेष के साथ संलग्न परिषिश्टों में उपलब्ध है। इन परिषिश्टों में निर्धारण प्रक्रिया लागू होने की तिथि से इस विशय पर पूर्व में समस्त षासकीय निर्देष अवक्रमित समझे जायेंगे।

4— जिला स्तर के अधिकारियों के बारे में वार्शिक गोपनीय आख्या अंकित किये जाने विशयक षासनादेष संख्या 36/3/1976—कार्मिक—2 दिनांक 6.5.1995 में जिला अधिकारियों को प्राप्त विषेश अधिकार पूर्ववत लागू रहेंगे।

5— प्रतिकूल प्रविश्टियों के विरूद्ध सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी

क्रमषः

के ठीक ऊपर के अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रत्यावेदन प्रेशित किया जायेगा।

6— चरित्र पंजिका में प्रविश्टि में अंकित करने, सत्यनिश्ठा प्रमाण—पत्र दिये जाने, प्रतिकूल प्रविश्टि सम्बन्धित कार्मिक को संसूचित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविश्टि के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन निस्तारण के बारे में षासन के कार्मिक विभाग से समय—समय पर जारी निर्देषों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिष्चित् किया जायेगा।

7— समूह ''क'' तथा ''ख'' के ऐसे अधिकारियों जिनकी वार्शिक गोपनीय प्रविश्टियों को स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अन्तिम स्वरूप दिये जाने का अधिकार षासन के भिन्न विभागाध्यक्ष या अन्य किसी अधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है, की चरित्र पंजिकायें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रखी जायेगी। यही प्रक्रिया श्रेणी 'ग' तथा 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू होगी अर्थात् जिस अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रविश्टि की गयी है उन्हीं के द्वारा वार्शिक प्रविश्टियों का रखरखाव किया जायेगा।

भवदीय,

ह0/—

(आर0एस0टोलिया)

प्रमुख सचिव

एवं आयुक्त।

षासनादेष संख्या 412 /वन एवं ग्रा.वि.आ.षा./2001 तद्दिनॉक

ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन

1– वार्शिक गोपनीय प्रविश्टि सम्बन्धी अधिकार

क्रमांक	पद नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
1	अपर आयुक्त	आयुक्त, ग्राम्य विकास	–	प्रमुख सचिव
2	उपायुक्त	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	प्रमुख सचिव
3	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास	प्रमुख सचिव
4	सहायक आयुक्त	सम्बन्धित उपायुक्त	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास
5	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास
6	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास
7	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेषक के मन्तव्य सहित	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
8	अपर परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
9	सहायक परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
10	सहायक परियोजना अधिकारी–महिला	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
11	परियोजना अर्थषास्त्री	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
12	सहायक अभियन्ता	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
13	सहायक संख्याधिकारी/संख्या सहायक	परियोजना अर्थषास्त्री	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
14	अन्वेषक (तक.)/अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
15	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
16	सहायक विकास अधिकारी–महिला	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
17	सहायक विकास अधिकारी–आईएसबी	खण्ड विकास अधिकारी	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
18	ग्राम विकास अधिकारी, महिला/पुरूश	खण्ड विकास अधिकारी	–	जिला विकास

				अधिकारी
19	ग्राम्य विकास विभाग के लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय के उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग	जिला विकास अधिकारी	–	मुख्य विकास अधिकारी
20	निदेषालय स्तर पर तैनात लिपिक वर्ग / आषुलिपिक	सहायक आयुक्त	–	उपायुक्त
21	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर तैनात वर्ग–ग के कर्मचारी	परियोजना निदेषक	–	मुख्य विकास अधिकारी
22	विकास खण्ड स्तर पर लिपिक वर्ग	खण्ड विकास अधिकारी	–	जिला विकास अधिकारी
23	चतुर्थ श्रेणी / जीपचालक– जिस अधिकारी के साथ हों, उसी अधिकारी के द्वारा	जिस अधिकारी के साथ हों, उसी अधिकारी के द्वारा	–	जिस अधिकारी के साथ हों, उसी अधिकारी के द्वारा

2– अवकाष सम्बन्धी अधिकार

क्रमांक	पद नाम	आकस्मिक अवकाष	30 दिन तक अर्जित / चिकित्सा अवकाष	60 दिन तक अर्जित / चिकित्सा अवकाष
1	2	3	4	5
1	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	आयुक्त ग्राम्य विकास	प्रमुख सचिव
2	उपायुक्त	अपर आयुक्त	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास
3	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास
4	सहायक आयुक्त	उपायुक्त	उपायुक्त (प्रषासन)	अपर आयुक्त
5	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास

6	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
7	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
8	अपर परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
9	सहायक परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
10	सहायक परियोजना अधिकारी–महिला	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
11	परियोजना अर्थषास्त्री	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
12	सहायक अभियन्ता	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
13	सहायक संख्याधिकारी/संख्या सहायक	परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
14	अन्वेषक (तक.)/ अवर अभियन्ता	परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
15	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
16	सहायक विकास अधिकारी–महिला	खण्ड विकास अधिकारी	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
17	सहायक विकास अधिकारी–आईएसबी	खण्ड विकास अधिकारी	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
18	ग्राम विकास अधिकारी, महिला/पुरूश	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
19	ग्राम्य विकास विभाग के लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय के उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग	जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
20	निदेषालय स्तर पर तैनात समूह–ग एवं समूह–घ के कर्मचारी	सम्बन्धित सहायक आयुक्त	उपायुक्त (प्रषासन)	अपर आयुक्त
21	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर तैनात वर्ग–ग एवं घ के कर्मचारी	परियोजना निदेषक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
22	विकास खण्ड स्तर पर तैनात समूह–ग एव घ के कर्मचारी	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी

3– निलम्बन, अनुषासनिक/विभागीय कार्यवाही एवं दण्ड का अधिकार

क्रमांक	पद नाम	लघु दण्ड स्वीकर्ता अधिकारी	बृहद दण्ड स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4
1	अपर आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
2	उपायुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
3	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
4	सहायक आयुक्त	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
5	जिला विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
6	परियोजना निदेषक	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
7	खण्ड विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
8	अपर परियोजना निदेषक	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
9	सहायक परियोजना निदेषक	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
10	सहायक परियोजना अधिकारी–महिला	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
11	परियोजना अर्थषास्त्री	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
12	सहायक अभियन्ता	आयुक्त ग्राम्य विकास	उत्तरांचल षासन
13	सहायक संख्याधिकारी/संख्या सहायक	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
14	अन्वेषक (तक.)/ अवर अभियन्ता	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
15	सहायक विकास अधिकारी–आईएसबी	खण्ड विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
16	सहायक विकास अधिकारी–महिला	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी
17	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
18	ग्राम विकास अधिकारी, महिला/पुरूश	जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
19	ग्राम्य विकास विभाग के लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय के उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग	जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी

20	निदेषालय स्तर पर तैनात समूह–ग एवं समूह–घ के कर्मचारी	उपायुक्त (प्रषासन)	अपर आयुक्त
21	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर तैनात वर्ग–ग एवं घ के कर्मचारी	परियोजना निदेषक	मुख्य विकास अधिकारी– समूह–''घ'' के लिए परियोजना निदेषक
22	विकास खण्ड स्तर पर तैनात समूह–ग एव घ के कर्मचारी	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

4– दक्षता रोक स्वीकृति सम्बन्धी अधिकार (अवषेश मामलों के लिए)

क्रमांक	पद नाम	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3
1	सहायक विकास अधिकारी– आईएसबी एवं महिला	मुख्य विकास अधिकारी
2	ग्राम्य विकास विभाग के लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अधीन जिला कार्यालय के उप संवर्ग के प्रधान लिपिक, लेखाकार एवं समकक्षीय पदों के पदधारक, आषुलिपिक एवं अन्य लिपिक वर्ग/ जीप चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्य विकास अधिकारी

5– सेवा निवृत्ति लाभ सम्बन्धी अधिकार

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3
1	श्रैणी –(क)	आयुक्त ग्राम्य विकास
2	श्रैणी –(ख)	आयुक्त ग्राम्य विकास
3	श्रैणी– (ग) निदेषालय स्तर	उपायुक्त (प्रषासन)

4	श्रेणी– (ग) जिला / विकास खण्ड स्तर	मुख्य विकास अधिकारी
5	श्रेणी– (ध) निदेषालय स्तर	उपायुक्त (प्रषासन)
6	श्रेणी– (घ) जिला / विकास खण्ड स्तर	जिला विकास अधिकारी

6– स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकार

क्रमांक	पद नाम	स्थानान्तरण जिले के अन्दर	स्थानान्तर अर्न्तजनपदीय
1	2	3	4
1	सहायक आयुक्त	–	षासन द्वारा
2	मुख्य विकास अधिकारी	–	षासन द्वारा
3	जिला विकास अधिकारी	–	षासन द्वारा
4	परियोजना निदेषक	–	षासन द्वारा
5	खण्ड विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
6	अपर परियोजना निदेषक	–	आयुक्त ग्राम्य विकास
7	सहायक परियोजना निदेषक	–	आयुक्त ग्राम्य विकास
8	सहायक परियोजना अधिकारी–महिला	–	आयुक्त ग्राम्य विकास
9	परियोजना अर्थषास्त्री	–	आयुक्त ग्राम्य विकास
10	सहायक अभियन्ता	–	आयुक्त ग्राम्य विकास
11	सहायक संख्याधिकारी / संख्या सहायक	–	उपायुक्त (प्रषासन)
12	अन्वेषक (तक.) / अवर अभियनता	–	उपायुक्त (प्रषासन)
13	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
14	सहायक विकास अधिकारी–महिला / आईएसबी	परियोजना निदेषक	उपायुक्त (प्रषासन)
15	ग्राम विकास अधिकारी– पुरूश / महिला	जिला विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
16	लिपिक वर्ग	जिला विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
17	वाहन चालक	जिला विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)
18	चतुर्थ श्रेणी	जिला विकास अधिकारी	उपायुक्त (प्रषासन)

7– ग्राम्य विकास विभाग के स्टाफ को भवन निर्माण/ क्रय/ मरम्मत एवं मोटर वाहन व साइकिल आदि क्रय हेतु अग्रिम ऋण स्वीकृत करने का अधिकार

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3
1	श्रेणी–क एवं ख के सभी अधिकारी तथा निदेषालय स्तर पर तैनात सभी श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी	आयुक्त ग्राम्य विकास
2	जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर नियुक्त श्रेणी–ग एवं घ के सभी कर्मचारी	मुख्य विकास अधिकारी

8– भण्डार एवं सामाग्री के अधिकारों का प्रतिनिधायन

क्रमांक	अधिकार के प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है/जायेगा	परिसीमन
1	2	3	4
1	ऐसे आपात काल की दषा में उद्योग विभाग के स्टोर परचेज के माध्यम से कोई वस्तु प्राप्त करने की दषा में सार्वजनिक सेवा में गम्भीर असुविधा होने की दषा में (भारत/विदेषों में निर्माण दोनों प्रकार के) भण्डार की खरीद स्वीकृत करना	1– कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी) 2– विभागाध्यक्ष 3– प्रषासकीय विभाग	1– एक समय में 10,000/–रू0 तक 2– एक समय में 10,000/– से 50,000/–रू0 तक 3– पूर्ण अधिकार
2	नयीं साज सज्जा का क्रय स्वीकृत करना	1– विभागाध्यक्ष	निम्नलिखित षर्तों के अधीन वर्श में 100,000/– एक लाख रूपये तक 1– किसी एक वस्तु का मुल्य 10,000/–रूपये से

		2– प्रषासनिक विभाग	अधिक न होगा। 2– क्रय की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। 3– स्वीकृत अनुदानों के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध हो। उपर्युक्त के अनुसार इस संषोधन के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य 20,000/– रूपये से अधिक न होगा
3	बहुमूल्य भण्डार व सामग्री का विक्रय स्वीकृत करना	विभागाध्यक्ष	रू0 5000/– के ह्रासित मूल्य अथवा बाजार भाव तक
4	उनके स्वयं के कार्यालय के लिए तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री एवं स्टाम्प को स्थानीय दरों पर क्रय करना	1– कार्यालयाध्यक्ष–प्रथम श्रेणी 2– विभागाध्यक्ष 3– प्रषासकीय विभाग	एक बार में रू0 20,000/– वित्तीय सीमा में एक बार में रू0 50,000/– तक पूर्ण अधिकार
5	फर्नीचर/ फिक्सर के क्रय की स्वीकृति	1– कार्यालयाध्यक्ष–प्रथम श्रेणी 2– विभागाध्यक्ष	1–आय–व्ययक नियमों के अन्तर्गत 2– पूर्ण अधिकार
6	फालतू और निश्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करना	1– कार्यालयाध्यक्ष–प्रथम श्रेणी	1.क– प्रत्येक मामले में 1000/–रूपये से अनाधिक मूल्य तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि फालतू भण्डार का 20 प्रतिषत तक अनाधिक

		2– विभागाध्यक्ष 3– प्रषासनिक विभाग	ह्रासित मूल्य पर। ख– प्रत्येक मामले में 1000/–रूपये मूल मूल्य तक निश्प्रयोज्य भण्डार। 2.क– रू0 10,000/– से अनिधिक मूल्य के फालतू/ निश्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय 20 प्रतिषत तक अनाधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाय। 3– प्रत्येक मामले में 10,000/–रूपये से अधिक व 25,000/–रूपये तक ऊपर मद–1 में उल्लिखित षर्तों के साथ।
7	मुद्रण सम्बन्धी व्यय निदेषक (मुद्रण तथा लेखन सामग्री से पूर्व परामर्ष किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत प्रपत्रों व अन्य आवष्यक कार्य जैसे नक्षे, नोटिस आदि मुद्रण करना) मुद्रण कराना।	1– कार्यालयाध्यक्ष–प्रथम श्रेणी 2– विभागाध्यक्ष 3– प्रषासनिक विभाग	प्रत्येक मामले में रू0 5000/– तक प्रत्येक मामले में रू0 7000/– तक प्रत्येक मामले में रू0 10,000/– तक
8	भण्डार व लोक धन की अवसूलनीय हानियां जिसके अन्तर्गत पूर्णतया नश्ट हुए स्टाम्पों की हानि भी है, को बट्टे खाते में डालना।	1– कार्यालयाध्यक्ष–प्रथम श्रेणी 2– विभागाध्यक्ष	1– प्रत्येक मामले में रू0 2000/– तक किन्तु एक वर्श में 20,000/– रूपये की सीमा तक। 2– प्रत्येक मामले में रू0 22,000/– तक ।

		3– प्रषासनिक विभाग	3– प्रत्येक मामले में रू0 50,000/– तक।

9– भविश्य निर्वाह निधि से अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार

अधिकार का प्रकार	वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सक्षम अधिकारी	संषोधित व्यवस्था के अनुसार अधिकारियों/ कर्मचारियों की श्रेणीयां	संषोधित वयवस्था के अनुसार सक्षम अधिकारी
1	2	3	4
ग्राम्य विकास विभाग के राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों का जी0पी0एफ0/ सी0पी0एफ0 विषेश परिस्थितियों में स्वीकृत करने का अधिकार	सम्बन्धित मण्डायुक्त	1– श्रेणी–क 2– श्रेणी–ख 3– श्रेणी–ग एवं घ निदेषालय स्तर पर 4– श्रेणी–ग एवं घ जिला/विकास खण्ड स्तर	आयुक्त ग्राम्य विकास आयुक्त ग्राम्य विकास उपायुक्त (प्रषासन) मुख्य विकास अधिकारी

10– नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार

यह अधिकार संगत नियमावली में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत होगा।

ह0/–
(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।

परिषिश्ट –6

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, निदेषालय, उत्तरांचल ।

पत्रांक 1563 / अधि0प्र0नि0 / 2002 – 03 दिनॉक 25–10–2002 ।

कार्यालय आदेष

इस निदेषालय के कार्यालय आदेष संख्या 831 / व.ग्रा.वि. (अ.षा.) दिनांक 27–12–2001 एवं संख्या 1049 / प्रतिनिधायन / 2002–02 दिनांक 22–1–2002 में प्रतिनिधानित अधिकारों को सम्मिलित करते हुए अग्रिम आदेषों तक षासनादेष संख्या 412 / वन एवं ग्राम्य विकास / 2001 दिनांक 29–12–2001 में श्री राज्यपाल उत्तरांचल सरकार द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, उत्तरांचल को प्रदत्त निम्नांकित प्रकरणों से सम्बन्धित अधिकारों का प्रतिनिधायन उसके सम्मुख अंकित अधिकारी में तत्काल प्रीााव से किया जाता है ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	नाम अधिकारी जिसको अधिकार प्रतिनिधानित किया जाता है
1	2	3
1	खण्ड विकास अधिकारी / अपर परियोजना निदेषक / सहायक परियोजना निदेषक / सहायक परियोजना निदेषक (महिला) / सहायक अभियन्ता तथा परियोजना अर्थषास्त्रियों का स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकार	अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास
2	श्रेणी क, ख के सेवा निवृत्ति लाभ सम्बन्धी अधिकारी	अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास
3	उपायुक्त / मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी / परियोजना निदेषक को 60 दिन तक उपार्जित / चिकित्सा अवकाष स्वीकृति का अधिकार	अपर आयुक्त ग्राम्य विकास
4	जी0पी0एफ0 नियमावली जी–4 / 890–10–502–1985 दिनांक 29–10–85 के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविश्य निधि से अस्थाई अग्रिम / स्थाई अग्रिम / अन्तिम निश्कासन / सेवा निवृत्ति पर देय 90 प्रतिषत अग्रिम का अधिकारी	अपर आयुक्त ग्राम्य विकास
5	षासनादेष जी–68 / 5–9–2000 दिनांक – के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृति अधिकार	अपर आयुक्त ग्राम्य विकास
6	षासनादेष संख्या 215 / 38–1–77 दिनांक 19–1–77 के अन्तर्गत निदेषालय / विकास खण्ड / संग्रहीत जिला विकास कार्यालय के निश्प्रयोज्य सामग्री की स्वीकृति का अधिकार रू0 5000 / –से 10,000 / – तक	अपर आयुक्त ग्राम्य विकास
7	षासनादेष संख्या एक–4601 / 16–11–79 / 155 / 79 दिनांक	अपर आयुक्त ग्राम्य विकास

	23–2–80 एवं संख्या जी–68/5–9–2000–9/238/88 दिनांक 18–4–2000 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अधिकार	
8	निदेषालय/ संग्रहीत जिला विकास कार्यालय/ विकास खण्ड कार्यालयों के निश्प्रयोज्य सामग्री की स्वीकृति 501 से 5000 तक	उपायुक्त (प्रषासन)
9	ग्राम्य विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों की भवन निर्माण/ मरम्मत, विस्तार/ मोटर वाहन/ मोटर साइकित/ मोपेड/ कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकृति का अधिकार	उपायुक्त (प्रषासन)
10	विकास खण्डों/ संग्रहीत जिला विकास कार्यालयों/ निदेषालय के कालातीत देयकों की स्वीकृति का अधिकार जी0ओ0 नं0–1–3959/10–3/1 (6)/65 दिनांक 23–1–88 के अन्तर्गत	उपायुक्त (प्रषासन)
11	विकास खण्डों/ जनपदों के समूह–ग (तृतीय) समूह–घ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों के 60 दिन से अधिक अर्जित/ चिकित्सा अवकाष स्वीकृति के प्रकरण	उपायुक्त (प्रषासन)
12	निदेषालय स्तर पर कार्यरत समूह–ग, घ के कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाष स्वीकृति प्रकरण	उपायुक्त (प्रषासन)
13	समूह–ग व घ के स्वेच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृति प्रकरण	मुख्य विकास अधिकारी– जनपद स्तर पर, उपायुक्त (प्रषासन)– निदेषालय स्तर पर

ह0/–

(डा0आर0एस0टोलिया)

आयुक्त

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित –

1– अपर सचिव/अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
3– उपायुक्त (प्रषासन),ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, उत्तरांचल।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोश्ट, इलाहाबाद।
5– अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल षासन, देहरादून।
6– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमॉऊ मण्डल।
7– समस्त कोशाधिकारी, उत्तरांचल।

ह0/–

(डा0आर0एस0टोलिया)

आयुक्त

परिषिश्ट –7

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेषालय, उत्तरांचल ।

संख्या 2034 / 1–स्था0 / 67 / अ.प्र.नि. / 2002–03 दिनांक जनवरी 03, 2003

कार्यालय ज्ञाप

इस निदेषालय के कार्यालय आदेष संख्या 1563 / अधि0प्रति0नि0 / 2002–03 दिनांक 25–10–2002 के क्रमांक–11 **पर विकास खण्डों / जनपदों के समूह ''ग'' (तृतीय श्रेणी) व समूह ''घ'' (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों के 60 दिन से अधिक अर्जित / चिकित्सा अवकाष स्वीकृति के अधिकारों का प्रतिनिधायन** उपायुक्त (प्रषासन) ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के **बजाय** जनपदों में **मुख्य विकास अधिकारियों में तत्काल प्रभाव** से किया जाता है।

इस निदेषालय का उक्त दिनांक 25–10–2002 का आदेष उक्त सीमा तक संषोधित समझा जाय।

ह0 / – आर.एस.

टोलिया,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास एवं

पंचायतीराज,

उत्तरांचल।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1– अपर सचिव/अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
3– उपायुक्त (प्रषासन), ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोश्ट, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– अपर सचिव, वित्त, देहरादून।
6– मण्डलायुक्त , गढ़वाल एवं कुमॉऊ मण्डल।
7– समस्त कोशाधिकारी, उत्तरांचल।
8– गार्ड फाइल।

ह0/–
(जे0आर.लापड़)
उपायुक्त (प्रषासन)
कृते आयुक्त।

परिषिश्ट –8

प्रेशक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल, पौड़ी।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचलं।

संख्या 2534/2–एक–स्था0 (38)/2004–05 दिनांक 6–12–2004 ।

विशय :– ग्राम्य विकास विभाग में वेतन समिति (1997–99)/ मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लेखा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक षासनादेष संख्या 2982/38–1–2003–13 एन0जी0/2002 दिनांक 30–9–2003 के प्रस्तर–2 के क्रम में मुझे आपको निर्देषित करना है कि लेखा लिपिक संवर्ग का संविलियन सहायक लेखाकार में कर दिये जाने तथा प्रस्तर संख्या–7 के अनुसार सहायक लेखाकारों का नियुक्ति अधिकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास

(विभागाध्यक्ष) हो जाने के फलस्वरूप सहायक लेखाकारों के सेवा सम्बन्धी सभी प्रकरण (पदोन्नति के मामलों को छोड़कर) जिनके लिए वर्तमान में अधोहस्ताक्षरी अधिकृत हैं, पूर्व की भॉति आप अपने स्तर से नियमानुसार निर्णित/निस्तारित करते रहेंगे। तद्नुसार सहायक लेखाकारों के सेवा सम्बन्धी मामलों के उक्त अधिकार आपको प्रतिनिधानित किये जाते हैं।

भवदीया,

ह0/–

(विभा पुरी दास)

आयुक्त,
ग्राम्य विकास